

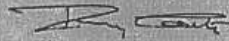


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25



कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के
लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन
कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं
मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य है। कब्जा विक्रित भूमि का







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



स्थल पर कतई खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर
दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि का वास्तविक एवं भौतिक
अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि
को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेंगे। किसी को कोई





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13 FEB 2008 B 502663
27

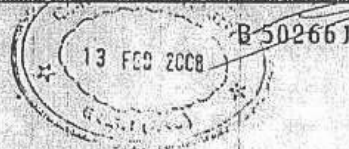
आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में
बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे यदि इस
हेतु प्रथम पक्ष विक्रेता की सहमति एवं रजामन्दी प्रस्तुत करने
की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेता





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28



समयानुसार पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे। कोई आपत्ति न

होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई ड्यूज या लगान

विक्रित भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता

करने का भार हम विक्रेता के जिम्मे होगा और आज की

[Signature]



[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29

13 FEB 2008

B/502662

तिथि के बाद समस्त ड्यूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन
करेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि अब अथवा भविष्य में
विक्रित भूमि अथवा उसका कोई अंश क्रेता के अधिकार,
स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रित

[Signature]



[Signature]

